



क. रा. बी. नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Ministry of Labour & Employment,
Government of India



निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली
Directorate (Medical) Delhi
क. रा. बी. औषधालय-सह-निदान केंद्र परिसर,
प्रताप नगर, मयूर विहार फेज - 1, नई दिल्ली - 110 091
ESIC Dispensary-cum-Diagnostic Centre Complex,
Pratap Nagar, Mayur Vihar Phase - 1, New Delhi - 110 091

संख्या: 111-A-33/13/21/2019-DPC-II

दिनांक: 28-04-2026

कार्यालय आदेश संख्या 05 वर्ष 2026 [डी. पी. सी. (चि.)]

सक्षम प्राधिकारी ने 23.02.2026 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (MACP) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की स्वीकृति निम्नलिखित कर्मचारी को उसके नाम के सामने उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रदान की है:

Competent authority has approved the grant of Financial Upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACP) on the recommendations of the Departmental Screening Committee held on 23.02.2026 to the following employee as per the details mentioned against his name:

| क्रम संख्या | नाम, कर्मचारी संख्या, पदनाम एवं नियुक्ति तिथि Name, Emp ID, Designation & Date of appointment) | वर्तमान तैनाती स्थल (Present place of posting) | रिव्यू आ. वि. आनु. समिति द्वारा सं.आ.वृ.प्रो. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तिथि (Date from which financial up-gradation under MACP Scheme is granted by REVIEW DS C) | | स.आ.वृ.प्रो. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तिथि एवं सातवें वेतन आयोग का अनुशंसित वेतन लेवल (Date from which financial up-gradation under MACP Scheme is granted & recommended Pay level of the 7th CPC) | टिप्पणी (Remarks) |
|-------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | 1 st | 2 nd | | |
| | | | ACP (12 yrs) | MACP (20 yrs) | | |
| 1 | Satish Kumar (105100) Radiographer D.O.A. - 16.11.1993 | ESIC Dispensary, Factory Road | *27.11.2005 (reviewed) | *27.11.2013 (reviewed) | Grant of 3 rd M ACP w.e.f. 27.11.2023 (Level - 8) | प्रथम ACP की तिथि दिनांक 16.11.2007 के स्थान पर 27.11.2005 निर्धारित की गई है। द्वितीय MACP की तिथि दिनांक 27.11.2015 के स्थान पर 27.11.2013 निर्धारित की गई है। |

* 11 दिनों की हड़ताल की अवधि वित्तीय उन्नयन की देय तिथि में जोड़े गये हैं

1) सं.आ.क.प्र. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि कर्मचारी के आहरित वेतन से संबन्धित वित्तीय एवं अन्य निश्चित लाभ ग्रहण होंगे। सं.आ.क.प्र. योजना के तहत उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन, स्थापना शाखा 3, क.रा.बी. निगम मुख्यालय द्वारा संबन्धित विषय पर परिचालित DoP&T OM no.35034/3/2008-Esst.(D) dated 19/05/2009 एवं DoP&T OM no.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 में निहित अनुदेशों व समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/स्पष्टीकरण आदि के अनुसार निर्धारित होगा। यदि कर्मचारी इस वित्तीय उन्नयन के पहले ही पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्च पदासीन है (यदि हैं), तो DoP&T OM dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 25 के अनुसार नियमन होगा।

On grant of financial up-gradation under the MACPS, there shall be no change in the designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits, which are linked to the pay drawn by an employee shall be permitted. Above financial up-gradation under the MACP Scheme shall, be subject to the terms and conditions mentioned in DoP&T OM no.35034/3/2008-Esst. (D) dated 19/05/2009 and DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 and further instructions/clarifications issued from time to time and circulated by Establishment Branch-III, Hqrs. on the subject. In case the employees are already holding the higher post purely on ad-hoc basis before the date of recommendation of financial up-gradation (if any), the case may be regulated as per para 25 of Annexure-I of DoP&T OM dated 22/10/2019.

2) सं.आ.क.प्र योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय कोई वेतन नियतन नहीं होगा। उपर्युक्त कर्मचारी का वित्तीय उन्नयन पर वेतन DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 4 से 7 के अनुसार नियत होगा तथा सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(I) (ए)(1) के अंतर्गत कर्मचारी वित्तीय उन्नयन आदेश की तिथि या अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन नियतन के संबंध में अपना विकल्प वित्तीय उन्नयन आदेश की तिथि के एक माह के अंदर तक प्रस्तुत करेंगे।

The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefits shall accrue at the time of regular promotion. On upgradation under the MACP Scheme, pay of the official shall be fixed as per para 4 to 7 of Annexure-I DoP&T OM dated 22/10/2019 and the official has the option under FR 22(I)(a)(1) to get the pay fixed in the higher level of pay in the pay matrix either from the date of the financial up-gradation or from the date of his next increment within one month of the date of issue of the order.

3) उपर्युक्त आदेश में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे वेतन नियतन से पहले इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

If any discrepancy is found in the above order, the same shall be brought to the notice of this office before fixation of pay.

4) नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे, की संबन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबन्धित पृष्ठियाँ की जाए और वेतन नियतन के संबंध में आवश्यक कार्यवाई शुरू की जाए।

The Controlling Authority shall ensure that relevant entries of the above-mentioned office order are made in the service book of the concerned official and necessary action is initiated regarding fixation of pay.

5) यह आदेश केवल वित्तीय उन्नयन आदेश हैं व इसका वरिष्ठता सूची से कोई संबंध नहीं है।

This order is only financial Upgradation Order under MACP and has no connection with Seniority list.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issued with the approval of Competent Authority.

सहायक निदेशक [डी. पी. सी. (चि.)]

सेवा में,

- 1) संबन्धित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से ।
- 2) बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, फैक्ट्री रोड, दिल्ली।
- 3) उप निदेशक, स्थापना शाखा - 1 (चि.), निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मयूर विहार, दिल्ली ।
- 4) उप निदेशक, स्थापना शाखा - 2 (चि.), निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मयूर विहार, दिल्ली ।
- 5) आई टी शाखा (चि.), निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मयूर विहार,को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6) गार्ड फ़ाइल ।

* * * * *